

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.19(03)शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 04.01.2021 द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा चयनित शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जिला कार्यालयों में सहायक निदेशक के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम -144"क" के तहत एक वर्ष के लिये उनके नाम के समुख कॉलम सख्या 5 में किये जाने की स्वीकृति की पालना में निम्नांकित अधिकारियों को संबंधित कार्यालय में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	वर्तमान पद	जिला
1	2	3	4	5
1	SUBHASH CHANDER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GSSS MANAKSAR 19MKS (211125),HANUMANGARH,SANGARIA	PRINCIPAL & EQUIVALENT	HANUMANGARH
2	MOHANA RAM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIMARLAI GANV (225431), BALOTRA. BARMER	PRINCIPAL & EQUIVALENT	NAGOUR
3	PRASHANT SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADAJHUMJI (223014), SAGWARA, DUNGARPUR	PRINCIPAL & EQUIVALENT	PRATAPGARH
4	SOHAN LAL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALALI PALI RAJASTHAN (221187),ROHAT,PALI	PRINCIPAL & EQUIVALENT	PALI

संबंधित अधिकारी तत्काल ही शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण/कार्यमुक्त होकर समस्त सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-4/प्रतिनियुक्ति/प्रधानाचार्य/समसा/2021/ दिनांक 04.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर ।
- 3 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को पत्र दिनांक 04.01.2021
- 4 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 5 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये
- 7 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 8 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक ।
- 9 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 10 सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग/ओएसी अनुभाग ।
- 11 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 12 रक्षित पत्रावली ।